न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस)

मोयबदीन व अन्य

बनाम

नसीर खां इत्यादि

उपस्थिति

1. श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 8

आदेश

दिनांक 02 जून 2025

अपीलांट्स ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 10/2014 बअनवान मोयबदीन व अन्य बनाम नसीर खां इत्यादि में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.02.2014 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 18 फरवरी 2014 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 5 कुल रकबा 73 बीघा 6 बिस्वा सरहद मौजा भड़ला अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स की सामलाती भूमि है, जिसमें अपीलार्थी संख्या दो रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा, अपीलार्थी संख्या एक व दो रकबा 24 बीघा 9 बिस्वा, रेस्पोडेंट संख्या चार रकबा 12 बीघा 9 बिस्वा, रेस्पोडेंट संख्या 5 रकबा 05 बीघा तथा रेस्पोडेंट संख्या छः रकबा 05 बीघा एवं रेस्पोडेंट संख्या सात रकबा 12 बीघा भूमि के खातेदार काश्तकार दर्ज है। मौके पर सभी काश्तकार अपने हिस्से अनुसार अलग अलग काश्त करते आ रहे है तथा शांति पूर्वक काबिज है। मौके

	पर रहवासीय ढाणी बनी हुई है तथा अपने परिवार सहित अपीलार्थीगण निवास करते आ रहे है। अपीलार्थीगण के खसरे के चिपते ही दक्षिण में खसरा नंबर 6/2 रकबा 34 बीघा 15 बिस्वा एवं खसरा नंबर 6/3 रकबा 10 बीघा रेस्पोडेन्ट संख्या दो व तीन की खातेदारी की भूमि है अपीलार्थीगण के खसरा नंबर 5 व 5/1 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या दो व तीन के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 6/2 व 6/3 की मांठे वर्षों से कायम है तथा अपीलार्थी अपने खातेदारी की कृषि भूमि में पीढियों से काश्त करते आ रहे है। रेस्पोडेन्ट संख्या दो व तीन ने अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि खसरा नं0 5 व 5/1 में दखल अंदाजी शुरू कर दी तथा दोनो खसरो के बीच की मांठ को मिटाकर अपीलान्ट्स के खातेदारी में कब्जा करने पर आमादा है। अपीलान्ट्स ने वाद में यह भलीभांति अंकित किया था कि रेस्पोडेन्ट्स अपीलार्थीगण की भूमि में जोर जबरदस्ती से वर्षों से बनी हुई मांठ को खत्म कर मशीनरी के सहारे दिन व रात काम करवा कर अपीलान्ट्स की खातेदारी की भूमि में कब्जा करने पर उतारू है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस बात की और गौर न करते हुए केवल सरसरी आधार पर अपीलांट्स के आवश्यक सुनवाई के प्रार्थना पत्र तथा स्थगन प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। प्रकरण में अपीलान्टस व अन्य काश्तकारो ने समय समय पर विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के समक्ष अपनी मांग रखी तथा धरना प्रदर्शन भी किया कि सोलर प्लांट के बहाने कम्पनी तथा ठेकेदार जानबुझ कर हमारे खातेदारी के खेत में अतिक्रमण कर निर्माण कार्य करवा रहे है, जिसको तुरन्त रोकना अति आवश्यक है । इस सम्बन्ध में अपीलान्ट ने पुलिस थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी, लेकिन विचारण न्यायालय ने इन सभी दलीलो को दरकिनार करते हुए कम्पनी मालिको के दबाव में आकर आंखे बंद कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जबकि इस मामले में अपीलांट्स के प्राथना पत्र को स्वीकार करते हुए रेस्पोडेन्टस	

	को पाबन्द करना न्याय हित में अति आवश्यक था। अपीलार्थीगण के खसरा नं0 5 तथा 5/1 तथा रेस्पोडेन्ट के खसरा नं0 6/2 व 6/3 के मध्य कभी कोई पेमाईस नहीं हुई है तथा दोनो खसरे आपस में चिपते हुए है। दोनो के मध्य मांठे पुराने समये से बनी हुई है, लेकिन रेस्पोडेंटस वर्षों से बनी हुई मांठो को मशीनो के जरिये खत्म करते हुए अपीलार्थी के खसरा नं0 5 व 5/1 में कब्जा करने की भरपुर कोशिश कर रहे है। अधीनस्थ न्यायालय को दो खसरो की बावण्डरी का विवाद होने के कारण, जब तक विधिवत पेमाईस नहीं होती, तब तक रेस्पोडेन्टस को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना चाहिये था, लेकिन विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज कर रेस्पोडेन्टस को विधि विरूद्ध काम करने का लाईसेन्स प्रदान कर दिया। इसलिए अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनाक 13.02.2014 को निरस्त किया जाकर प्रार्थना पत्र धारा 212 स्वीकार किया जावे एवं वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे। विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अपीलांट्स वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 5 रकबा 14.08 बीघा एवं खसरा नंबर 5/1 रकबा 24.09 बीघा ग्राम भड़ला के खातेदार काश्तकार है तथा रेस्पोडेंट संख्या दो व तीन खसरा नंबर 6/2 रकबा 34.15 बीघा एवं खसरा नंबर 6/3 रकबा 10 बीघा के खातेदार	

	काश्तकार है। पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा ट्रेस मौजा भड़ला के मुताबिक खसरा नंबर 05 एवं 06 पृथक-पृथक सीमाओं से आबद्ध है। उभय पक्ष को परस्पर एक-दूसरे की खातेदारी भूमि में दखलदांजी करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं है। अपीलांट्स का कथन है कि दोनो खसरों की माठ को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद है। इस बाबत थानाधिकारी बा पके समक्ष प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज होना प्रकट होता है। उभय पक्ष में वाद के विचाराधीन रहते अनावश्यक विवाद न हो, इसलिए वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखा जाना न्याय हित में उचित प्रतीत होता है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में प्रतीत होते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उपलब्ध अभिलेख एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है। यह उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना है। लिहाजा मामला उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित रहेगा। उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 फरवरी 2014 को अपास्त किया जाता है तथा मामला विचारण न्यायालण्य को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर	

	प्रदान करते दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण करे। तब तक उभय पक्ष परस्पर एक-दूसरे के कब्जे काश्त में दखलदाजी पैदा नहीं करे तथा वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 5 एवं 5/1 के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया। **(ओमप्रकाश विश्नोई)** **राजस्व अपील प्राधिकारी** **जोधपुर**	